कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव

विज्ञापन

क्रमांक 3461 / वित्त स्था. / 2018 राजनांदगांव दिनांक 12/04/2018

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक / एफ 2–4 / सात–2 / 2017 नया रायपुर दिनांक 13.11.2017 के अनुसार राजस्व विभाग जिला राजनांदगांव अंतर्गत (जिला प्रशासन हेतु) वाहन चालकों के रिक्त 11 पदों पर संविदा नियुक्ति किया जाना है। उक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु दिनांक **27.04.2018** तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का वर्गवार एवं आरक्षण अनुसार विवरण निम्नानुसार है :–

पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	अनारक्षित
वाहन चालक (संविदा)	11	02	01	01	01	06

नियुक्ति प्रधिकारी :–

कलेक्टर, जिला राजनांदगांव।

शैक्षणिक योग्यता अर्हता :–

1. कक्षा आठवी उत्तीर्ण। (स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
2. हल्के वाहन चालन का स्थाई लायसेंस। (स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. दो वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. **कौशल परीक्षा** – शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठवी में प्राप्तांक का 80 प्रतिशत एवं कौशल परीक्षा में 20 अंक निर्धारित किया गया है। कौशल परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है, अन्यथा अपात्र हो जायेंगे।

संविदा वेतन :–

छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत संविदा नियुक्ति के पद का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 4 अनुसार प्रतिमाह एकमुश्त देय होगा।

नियम एवं शर्ते :–

1. संविदा नियुक्ति केवल 01 वर्ष हेतु की जा रही है।
2. सामान्यतः उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 01.01.2018 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट लागू रहेगी। अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. को नियमानुसार आयु सीमा में देय छूट यथावत रहेगी।
3. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची की स्वप्रमाणित सत्यप्रतिलिपि सहित उम्मीदवार का आवेदन दिनांक **27.04.2018** तक कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से कलेक्टर (वित्त), राजनांदगांव में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हाथों–हाथ आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
4. अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र / हल्के वाहन चलाने का स्थाई लायसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

शेष पृष्ठ 2 पर

8. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी, ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
9. नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले, किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
10. उपरोक्त वांछित अर्हता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें।
11. लिफाफे के ऊपर वाहन चालक (संविदा) पद के लिये आवेदन एवं आवेदक का नाम व पूर्ण पता अवश्य लिखें।
12. जन्मतिथि दर्शानें वाली शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
13. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 5 एवं 6 की पात्रता/अनर्हताएं लागू होगी।
14. कक्षा 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाकर एक पद के विरूद्ध 5 आवेदकों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा।
15. उम्मीदवारों द्वारा नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो आवेदन पर में निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जावे, जो कि स्वप्रमाणित हो।
16. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य विवरण कार्यालयीन समय में जिला कार्यालय राजनांदगांव के सूचना फलक एवं वेबसाईट rajnandgaon.gov.in में देखें जा सकते है।
17. किसी भी विवाद/आपत्ति में अंतिम निर्णय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव का होगा।
18. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिये पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
19. संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
20. संविदा नियुक्ति कर्मचारी की नियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
21. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
22. ये नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं, रिटपिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश एवं निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
23. चयनित उम्मीदवार का किसी भी प्रकार का पुलिस प्रकरण/न्यायालयीन वाद लंबित न हो।

कलेक्टर,
जिला–राजनांदगांव

पृ.क्रमांक /3461 /वित्त स्था./2018,　　　　राजनांदगांव,दिनांक 12/04/2018

प्रतिलिपिः–

(1) सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(2) संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ। राजस्व विभाग अंतर्गत (जिला प्रशासन हेतु) वाहन चालक (संविदा) के लिये भर्ती हेतु विज्ञापन दो दैनिक समाचार पत्रों में इसका संक्षिप्त प्रकाशन कर समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजने का कष्ट करें।

(3) संचालक, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, कचहरी परिसर, होमगार्ड कार्यालय के पीछे रायपुर (छ.ग.)।

(4) प्रभारी अधिकारी, जिला नाजिर, जिला कार्यालय राजनांदगांव को सूचना फलक में प्रकाशन हेतु।

(5) DIO, NIC राजनांदगांव की ओर विज्ञापन की छायाप्रति जिले की वेबसाईट में तत्काल अपलोड करने हेतु।

(6) सहायक संचालक, जनसम्पर्क राजनांदगांव की ओर दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

(7) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, राजनांदगांव को सूचनार्थ।

कलेक्टर,
जिला–राजनांदगांव

आवेदन–पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो

प्रति,

कलेक्टर, (वित्त)
जिला–राजनांदगांव* (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम – ....
2. आवेदक का नाम – ....
3. आवेदक के पिता का नाम – ....
4. माता का नाम – ....
5. जाति/वर्ग (प्रमाण पत्र संलग्न करें) – ....
6. जन्म तिथि (अंकों में) – .... (शब्दो में) ....
   दिनांक 01.01.2018 को आयु – वर्ष .... माह .... दिन ....
7. स्थायी पता – ....
8. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु) – ....
9. दूरभाष/मोबाईल नम्बर – ....
10. छ.ग. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र (संलग्न करें) – ....
11. रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक तथा पंजीयन दिनांक – ....
12. शैक्षणिक योग्यता :–

क.	परीक्षा का नाम	संस्था का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5		6

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये विवरण मेरे अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है। गलत पाये जाने पर मेरा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकता है।

स्थान :–

दिनांक :–

आवेदक के हस्ताक्षर